(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–461–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–02–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–1160/अपील/2007–08

.....

श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री दिनेन्द्र द्विवेदी,
निवासी–ग्राम हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन
सर्किल प्रभारी हनुमानगढ़, जिला–सीधी (म0प्र0)

———आवेदकिा

विरूद्ध

1– श्रीमती कमला देवी पत्नी दिनेश प्रताप
निवासी–ग्राम करोंदिया दक्षिण टोला
तहसील गोपतबनास, जिला–सीधी(म0प्र0)

2– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, सीधी(म0प्र0)

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम भोलगढ़ तहसील रामपुर नैकिन स्थित आराजी क्रमांक 28 रकबा 8.20 हैक्टर भूमि की रजिस्ट्री विक्रय पत्र में दर्शाये सीमा अनुसार नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 11/अ–5/2005–06 में पारित आदेश दिनांक

26.11.2007 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका श्रीमती कमला देवी द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी चुरहट रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने आदेश दिनांक 07.07.2008 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 23.02.2012 से अपील खारिज की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पति दिनेन्द्र द्विवेदी द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र में दर्शित चौहद्दी के आधार पर नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने नक्शा तर्मीम के आदेश दिये । परन्तु वास्तव में विक्रय पत्र में दर्शयी चौहद्दी के आधार पर नक्शा तर्मीम के आदेश नहीं दिये है। प्रश्नाधीन भूमि कर बटांकन भी नहीं किया गया है। तहसील न्यायालय में नक्शा तर्मीम के विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आदेश पारित नहीं गया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया कि पूर्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज तर्मीम आदेश को यथावत रखते हुये वैधानिक आदेश पारित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की गई नक्शा तर्मीम की कार्यवाही को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया । दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,